



अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) के आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर जो मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कंपनी है, के द्वारा म.प्र. के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये जिन्होंने दसवीं कक्षा के साथ आई.टी.आई. (एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी.) उत्तीर्ण की हो, से अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अंतर्गत कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेट (कोपा), इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर (हिन्दी), स्टेनोग्राफर (इंग्लिश), कम्प्यूटर पेरिफेरल हार्डवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेन्स मेकेनिक, वेल्डर (गैस एंड इलेक्ट्रिक), वायरमेन, कम्प्यूटर नेटवर्किंग तकनीशियन, सोलर तकनीशियन एवं मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर शिक्षुता प्रशिक्षण (एक वर्षीय) हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) हेतु वर्तमान में कुल रिक्तियां 326 हैं, जिनका ट्रेड वार विवरण निम्नानुसार है:-.

Total Year 2023-24 Positions						
S.No	TRADE	Gen	SC	ST	OBC	Total
1	Computer Operator and Programming Assistant	29	9	12	13	63
2	Electrician	43	12	8	20	83
3	Stenographer(English)	5	3	4	4	16
4	Stenographer(Hindi)	19	9	13	14	55
5	Computer and Peripherals Hardware Repair and Maintenance Mechanic	11	5	6	8	30
6	Welder (Gas and Electric)	1	1	1	1	4
7	Wireman	8	3	4	6	21
8	Computer Networking Technician	11	5	6	8	30
9	Solar Technician	8	4	4	6	22
10	Multimedia and Web Page Designer	1	0	0	1	2
	Total	136	51	58	81	326

नोट:-

- उक्त रिक्तियां केवल म.प्र. के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि **दिनांक 07/01/2024** है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर मान उच्च न्यायालय म.प्र. के निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- इस वर्ष में समय- समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से भरा जा सकेगा।

1. आरक्षण एवं आयु में छूट:-

- आयु संगणना तिथि : 01.11.2023
- सभी वर्गों में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये।
- सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी।
- चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण शिक्षुता नियम 1992 (यथा संशोधित 2019) एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। यदि आरक्षित संवर्ग में निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में बदलकर भरा जा सकेगा। तदोपरांत भी पद रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों से भरा जा सकेगा।



- v. रिक्तियों की संख्या अंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों/श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुनरीक्षित हो सकती है।
vi. शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष रहेगी।

2. चयन प्रक्रिया:-

- I. अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जावेगी। तत्पश्चात्, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा अंतिम समय सीमा पूर्व प्राप्त हुए आवेदनों में आई.टी.आई. में कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम (मेरिट आधार) में चयन किया जावेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जायेगा।
- II. निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- III. यदि किसी अभ्यर्थी ने पूर्व में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड या अन्य प्रतिष्ठान से किसी ट्रेड में शिक्षुता प्रशिक्षण पूर्ण किया है, तो वह अभ्यर्थी समान ट्रेड में पुनः आवेदन नहीं कर सकता।
- IV. इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर बनाई गई वरीयता सूची तथा प्रकाशित रिक्तियों एवं इस अवधि में समय-समय में उद्भूत होने वाली रिक्तियों की पूर्ति इस वरीयता सूची के अनुसार की जा सकेगी। प्रथम परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष अवधि तक के लिए वरीयता सूची वैध रहेगी।

3. स्टाईपेण्ड :-

कौशल विकास एवं उधमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाईपेण्ड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है:-

क्र.	अर्हता	ट्रेड	मासिक स्टाईपेण्ड (रूपये में)
1.	एक वर्षीय आईटीआई (एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी.) उत्तीर्ण	कोपा, स्टेनो हिन्दी, स्टेनो इंग्लिश, कम्प्यूटर पेरिफरल हार्डवेयर रिपेयर एंड मेटेनेन्स मेकेनिक, वेल्डर (गैस एंड इलेक्ट्रिक), कम्प्यूटर नेटवर्किंग तकनीशियन, सोलर तकनीशियन एवं मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर	7700/-
2.	दो वर्षीय आईटीआई (एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी.) उत्तीर्ण	इलैक्ट्रिशियन, वायरमेन	8050/-

नोट:- इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/लाभ की पात्रता नहीं होगी।

4. चिकित्सा/स्वास्थ्य मानक:-

- i. किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये चिकित्सा फिटनेस के आधार पर ही किया जावेगा।
- ii. दिव्यांग अभ्यर्थियों को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। 40% अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
- iii. जोखिम पूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जायेगा।



5. आवेदन कैसे करें:-

- I. अभ्यर्थी को अप्रेंटिसशिप पोर्टल <https://www.apprenticeshipindia.gov.in/> पर अपना पंजीयन कर अपना अप्रेन्टिस प्रोफाइल कम्प्लीट करना अनिवार्य है। बिना अप्रेन्टिस प्रोफाइल कम्प्लीट किए बिना उन्हे अप्रेन्टिसशिप का कानूनी ऑफर नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी (candidate) से संबंधित समस्त जरूरी video (जैसे Registration, Profile Completion etc.) अप्रेंटिसशिप पोर्टल (<https://www.apprenticeshipindia.gov.in/> → Instructional Video → Candidate) पर उपलब्ध है, वह उन्हे देख सकते हैं। अभ्यर्थी के पास वैद्य अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन संख्या होना अनिवार्य है।
- II. केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा।
- III. ऑनलाइन आवेदन दिनांक 18/12/2023 को रात्रि 12:00 AM से दिनांक 07/01/2024 की रात्रि 11:59 PM तक भरे जा सकेंगे। इसके पूर्व आवेदित तथा पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेगे।
- IV. विस्तृत विवरण हेतु उम्मीदवार कंपनी की वेबसाईट <https://mpez.co.in> एवं <https://mpskills.gov.in> देख सकते हैं अथवा उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।
- V. अप्रेंटिसशिप पोर्टल <https://www.apprenticeshipindia.gov.in/> पर पंजीकरण में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर श्री शक्ति सिंह, शिक्षुता सलाहकार, (ई-मेल: apprenticeship@mp.gov.in, फोन नंबर: 0755-2985891) स्टेट अप्रेन्टिसशिप मॉनिटरिंग सेल, चतुर्थ तल गैस राहत एवं पुर्नवास आईटीआई भवन, गोविंदपुरा भोपाल से कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

6. महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तें:-

- i. अभ्यर्थी कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि वे शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये आवश्यक योग्यता रखते हैं तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही हैं।
- ii. यह रिकित्याँ केवल म.प्र. मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए है।
- iii. अभ्यर्थी केवल एक ही ट्रेड के लिए ही आवेदन कर सकता है।
- iv. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि अभ्यर्थी निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं और कंपनी की आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते हैं अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है अथवा गलत जानकारी दी है तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
- v. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन कीमी लेयर) तथा दिव्यांग अभ्यर्थी कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरें, चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी।
- vi. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निराकरण अप्रेन्टिस एक्ट 1961 एवं इसके संशोधन के प्रावधानुसार किया जावेगा।
- vii. अभ्यर्थी चयन हेतु मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- viii. शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि में चयनित अभ्यर्थियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश, 3 ऐच्छिक अवकाश तथा सप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।
- ix. चयनित उम्मीदवारों को रूपये 2500/- का अनुबंध सम्पादित करना होगा। अनुबंधित अवधि में यदि कोई चयनित उम्मीदवार प्रशिक्षण छोड़कर जाता है तो उसके द्वारा अनुबंधित राशि रूपये 2500/- का भुगतान किया जावेगा।
- x. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम 1923 लागू होगा।
- xi. मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने/सीमित करने/बढ़ाने का अधिकार होगा।



मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
ब्लॉक नंबर 07, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर
CIN: U40109MP2002SGC015120

Phone No. 0761-2932038, Email ID- mpez.training@gmail.com

- xii. चयन न होने की स्थिति, में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- xiii. अभ्यर्थी ध्यान रखें कि यह विज्ञापन अप्रेन्टिस एक्ट 1961 की कंडिका 22 (1) के अनुसार शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए है, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, में नियमित नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर किसी भी अभ्यर्थी को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।
- xiv. चयनित होने पर प्रशिक्षुओं को कंपनी के अन्तर्गत जबलपुर, सागर, रीवा व शहडोल संभाग के अन्तर्गत कंपनी कार्यालयों में नियोजित किया जाएगा।
- xv. अप्रेन्टिस एक्ट 1961 की कंडिका 21 (1) एवं (2) के अनुसार शिक्षुता प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र प्रदान किया जावेगा।
- xvi. यदि उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो “Edit my profile” में जाकर परिवर्तन कर सकते हैं।

नीता राठौर

मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.)